बिहार महादलित विकास मिशन

BIHAR MAHADALIT VIKAS MISSION

ße[;e=h egknfyr ik'kkd ;kstukÞ

;kstuk@ iLrkouk

- "मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजना" के अर्न्तगत महादलित समुदाय के वर्ग 1–5 तक के छात्र / छात्राओं को पोशाक दिये जाने की योजना है। महादलित बच्चों को पोशाक के अभाव में हीन भावना से ग्रसित होना पड़ता है। इस कारण इस योजना के तहत् सरकारी विद्यालयों में वर्ग 1–5 तक अध्ययनरत महादलित समुदाय के प्रत्येक छात्र/छात्राओं को *500@& :0 dh nj ls ifr o"kZ* पोशाक, जूते, कॉपी आदि दिये जाने का प्रस्ताव है।

lwph rS;kj djus dh izfd;k

- प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी पंचायत/वार्ड (शहरी) के सरकारी विद्यालयों में वर्ग 1–5 तक नियमित रूप से अध्ययनरत महादलित छात्र/छात्राओं की सूची शिक्षा विभाग के सहयोग से तैयार करायेंगे। इस कार्य में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी आवश्यक सहयोग करेंगे।

lph dk i"k.k ,o jkf'k dh ekx

- प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायतवार/वार्डवार (शहरी) महादलित समुदाय के छात्र/छात्राओं की तैयार सूची के अनुसार जिला परियोजना पदाधिकारी से राशि की मांग करेंगे। प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर प्रति छात्र/छात्राओं के लिए 500/–रू॰ की दर से राशि उपलब्ध कराया जायेगा।

jkf'k dk vkoaVu

- जिला परियोजना पदाधिकारी, चयनित छात्र/छात्राओं की संख्या के अनुसार प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्राप्त मांग के आलोक में जिला पदाधिकारी से संचिका में आदेश प्राप्त कर राशि प्रखंड विकास पदाधिकारी को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।

forj.k dh izfØ;k

- राशि वितरण हेतु पूरे राज्य के लिए एक तिथि विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी। सभी पंचायतों एवं वार्डो (शहरी) में निर्धारित तिथि को वितरण–शिविर आयोजित किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में आवश्यकतानुसार विभिन्न वार्ड को मिलाकर वितरण स्थल निर्धारित किया जा सकता है।

- पंचायतों एवं वार्डो (शहरी) में पंचायत भवन या कोई उपयुक्त सरकारी भवन में शिविर का आयोजन प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

- राशि का वितरण जन प्रतिनिधियों यथा वर्त्तमान मुखिया, हारे हुए मुखिया, वर्तमान वार्ड सदस्य एवं हारे हुए वार्ड सदस्य की उपस्थिति में पहले से चिन्हित छात्र/छात्राओं के बीच किया जाएगा।

- शहरी क्षेत्र में संबंधित वार्ड आयुक्त, हारे हुए वार्ड आयुक्त की उपस्थिति में किया जाएगा। इस कार्य में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी आवश्यक सहयोग करेंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्धारित तिथि के पूर्व ही लिखित रूप से इन जन प्रतिनिधियों को आंमत्रित करने का कार्य सुनिश्चित करेंगे।

forj.k dh ifØ;k

- सूची के आधार पर प्रत्येक पंचायत/वार्ड में पंजी संधारित कर लाभान्वित छात्र/छात्राओं को निर्धारित राशि का भुगतान संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक या उनके द्वारा प्राधिकृत शिक्षक के पहचान पर किया जायेगा।

- प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने अधिनस्थ पंचायत सेवक, राजस्व कार्मचारी एवं पर्यवेक्षक के माध्यम से शिविर का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड/शहरी क्षेत्र (वार्डो) को जोन में बाँटकर प्रत्येक जोन में अपने अधीनस्थ पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी को पर्यवेक्षण हेतु प्रतिनियुक्त करेंगे।

- नगद राशि वितरण में किसी भी तरह की अनियमितता को रोकने हेतु शिविर पूर्व प्रचार–प्रसार एवं शिविर का विडियोग्राफी किया जाएगा। विडियोग्रफी नहीं होने की स्थिति में फोटोग्राफी का कार्य किया जाएगा।

- जिस पंचायत/वार्ड में वितरित राशि अधिक होगी वहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा राशि के सुरक्षित पहुँचाने की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जायेगी।

eY;kdu] i;o{k.k ,o fu;=.k

- जिला कल्याण पदाधिकारी सह जिला परियोजना पदाधिकारी, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी (प्रभारी महादलित) वितरण कार्यक्रम का पूरे जिला में समन्वय एवं गहन पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे। इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होंगे।

- प्रमंडल स्तर पर उपनिदेशक (कल्याण) प्रत्येक जिला के परियोजना पदाधिकारी के लगातार सम्पर्क में रहकर क्षेत्र भ्रमण कर विस्तृत प्रतिवेदन परियोजना निदेशक बिहार महादलित विकास मिशन को प्रेषित करेंगे।

- जिला पदाधिकारी के नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन में योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।

- जिला पदाधिकारी सम्पूर्ण गतिविधियों के प्रभावकारी पर्यवेक्षण हेतु जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं अनुमण्डल पदाधिकारियों को प्रत्येक प्रखंड/नगर क्षेत्र में प्रतिनियुक्त कर पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे।